बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

अधिसूचना

अ०स० :–2/अ0प्र0–1–366/2018 380 /पटना, दिनांक :– 9.2.24

श्री अर्जुन कुमार सिंह, तत्कालीन सहायक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, सालमारी के विरूद्ध जल संसाधन विभाग अन्तर्गत अपर महानन्दा योजना फेज–1 के अधीन केन्द्र प्रायोजित योजना के तहत महानन्दा नदी के बाँया एवं दाँया तटबंध के उच्चीकरण, सुदृढ़ीकरण एवं ब्रीक सोलिंग कार्य (वर्ष 2010–2014) में बरती गयी अनियमितता के लिये जल संसाधन विभाग द्वारा श्री सिंह के विरूद्ध आरोप पत्र गठित कर उपलब्ध कराते हुए इन्हें निलंबित करने एवं इनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई प्रारंभ किये जाने की अनुशंसा की गयी।

2. जल संसाधन विभाग से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में श्री सिंह को अधिसूचना संख्या–1337–सह–पठित ज्ञापांक–1338 दिनांक 07.05.2019 द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया एवं श्री सिंह के विरूद्ध गठित आरोप पत्र को ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा पुनर्गठित करते हुए संकल्प ज्ञापांक–1343 अनु0 दिनांक 08.05.2019 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी, जिसके निमित्त अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग को संचालन पदाधिकारी नामित किया गया।

3. संदर्भित मामले में पुनः जल संसाधन विभाग के पत्रांक 991 अनु0 दिनांक 16.05.2019 से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में मामले के समीक्षोपरान्त श्री सिंह के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को यथावत् रखते हुए अधिसूचना संख्या–2146–सह–पठित ज्ञापांक–2147 दिनांक 18.07.2019 द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबन से मुक्त कर दिया गया।

4. श्री सिंह के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में उनके द्वारा समर्पित द्वितीय बचाव बयान पर जल संसाधन विभाग से प्राप्त मंतव्य के आलोक में विनिश्चित दंड प्रस्ताव पर बिहार लोक सेवा आयोग की सहमति के उपरांत अधिसूचना संख्या–1836–सह–पठित ज्ञापांक 1837 दिनांक 08.11.2022 द्वारा इनके विरूद्ध देय प्रोन्नति के तिथि से अगले दो वर्ष तक प्रोन्नति पर रोक एवं कालमान वेतन में दो निम्नतर प्रक्रम पर सेवानिवृति तक अवनति का दंड अधिरोपित किया गया।

5. उक्त अधिरोपित दंड के विरूद्ध श्री सिंह के पत्रांक 2349 दिनांक 09.11.2022 द्वारा पुनर्विलोकन अर्जी समर्पित किया गया, जिसमें उनके द्वारा मामले में प्राक्कलन निर्माण से संबंद्ध नहीं होने तथा सरकार को कोई आर्थिक क्षति नहीं होने का उल्लेख करते हुए अधिरोपित दंड को निरस्त करने का अनुरोध किया गया। श्री सिंह द्वारा अपने पुनर्विलोकन अर्जी में मुख्यतः यह उल्लेख किया गया कि वर्ष 2010–14 के बीच में जल संसाधन विभाग के बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, सालमारी (कटिहार) के अधीन सहायक अभियंता के पद पर रहते हुए उनके द्वारा महानंदा नदी के बाये बाँध के आशिंक भाग का उच्चीकरण, सुदृढ़ीकरण एवं ईंट सोलिंग का आशिंक कार्य कराया गया। उड़नदस्ता द्वारा बताये गये अतिरेक मद् में किये गये भुगतान को एक मुस्त वसूली संवेदक के अंतिम विपत्र से कर ली गयी अर्थात सरकार को कोई आर्थिक क्षति नहीं हुई है। उड़नदस्ता प्रमंडल (कार्यपालक अभियंता स्तर के पदाधिकारी) के द्वारा प्रतिवेदित अतिरेक मद् को तकनीकी रूप से सही ठहराया गया है। उसकी समीक्षा अभियंता प्रमुख, द्वारा की गई। जल संसाधन विभाग के वरीय अभियंता (अभियंता प्रमुख) ने अपने ही विभाग के उड़नदस्ता (कार्यपालक अभियंता) के जाँच से असहमति जतायी। उस स्पष्टीकरण पर प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग का स्पष्ट मंतव्य है कि उड़नदस्ता द्वारा जो अनियमितता प्रतिवेदित की गयी है वह वरीय अभियंता के

समीक्षोपरान्त पूर्णतः तकनीकी रूप से सही नहीं कहा जा सकता है। इस हेतु प्राक्कलन बनाने में त्रुटि के लिये दोषी को चिन्हित कर यथोचित कार्रवाई का निदेश उच्च स्तर पर दिया गया।

श्री सिंह द्वारा यह भी कहा गया कि उक्त कार्य का प्राक्कलन बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, कटिहार के द्वारा बनाया गया था और वे दूसरे प्रमंडल यथा बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, सालमारी में सहायक अभियंता के पद पर कार्यरत थे। उस प्राक्कलन पर बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, सालमारी के किसी भी अभियंता का हस्ताक्षर नहीं है। इस कार्य के कार्यान्वयन के लिए नोडल पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, कटिहार थे। कटिहार प्रमंडल के अभियंताओं के द्वारा ही इस कार्य का कार्यकारी प्राक्कलन तैयार किया गया एवं अधीक्षण अभियंता के माध्यम से तकनीकी स्वीकृति हेतु मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, पूर्णियाँ को भेजा गया। अंततः गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग की सहमति के उपरान्त इस कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त हुई। तत्पश्चात् इस कार्य की निविदा प्रकाशित हुई एवं कार्यावंटन जल संसाधन विभाग स्तर से हुआ। कार्यावंटन के उपरान्त कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, कटिहार एवं संवेदक द्वारा एकरारनामा किया गया। एकरारनामा की छायाप्रति बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, सालमारी, जहाँ वे सहायक अभियंता, के रूप कार्यरत थे, को उपलब्ध कराई गई। इस एकरारनामा के अनुसार सालमारी प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता से लेकर कनीय अभियंता तक कुल–सात अभियंताओं द्वारा कार्य कराया जा रहा था। इस कार्य के कुल–9 विपत्रों पर सहायक अभियंता के रूप में वे हस्ताक्षर किये। इसी बीच स्थायी रूप से कैडर विभाजन के फलस्वरूप उनकी सेवा ग्रामीण कार्य विभाग को सौंप दी गई। अर्थात वे इस कार्य के कार्यान्वयन में अंत तक नहीं थे। विरमित होने के उपरान्त जल संसाधन विभाग के उड़नदस्ता के द्वारा जॉच की गई एवं एक मद् को अतिरेक बताया गया। इस कार्य के अंतिम विपत्र में उड़नदस्ता द्वारा अतिरेक बताये गये मद् में किये गये भुगतान की वसूली एक मुश्त संवेदक के अंतिम विपत्र से कर ली गयी अर्थात सरकार को एक पैसे की आर्थिक क्षति नहीं हुई। इस कार्य के प्राक्कलन बनाने एवं अंतिम विपत्र (Final bill) तैयार करने में वे नहीं थे।

उक्त के अतिरिक्त श्री सिंह द्वारा यह भी उल्लेख किया गया कि जल संसाधन विभाग (बिहार सरकार) एवं गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग (भारत सरकार) द्वारा स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन के लिये कार्यपालक अभियंता–सह–नोडल पदाधिकारी, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल कटिहार द्वारा उपलब्ध कराये गये एकरारनामा के अनुसार बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, सालमारी के एक सहायक अभियंता के रूप में उनके द्वारा केवल आंशिक कार्य कराया गया। उड़नदस्ता द्वारा जॉच के दौरान उनके द्वारा कराये गये कार्य की मात्रा एवं गुणवत्ता में कोई कमी नहीं पायी गई। उक्त कार्य का प्राक्कलन तैयार करने में वे नहीं थे। इस मामले में प्राक्कलन बनाने में त्रुटि के लिए दोषी को चिन्हित कर यथोचित कार्रवाई का उच्च स्तरीय आदेश दिया गया है।

6. श्री सिंह द्वारा समर्पित पुनर्विलोकन अर्जी दिनांक 09.11.2022 में उल्लेखित तथ्यों एवं मामले में संधारित कागजातों के परिशीलन से समीक्षोपरान्त यह पाया गया कि प्रश्नगत् मामले में जल संसाधन विभाग अन्तर्गत निलंबित अभियंताओं के निलंबन मुक्त करने के क्रम में मुख्य सचिव महोदय द्वारा अपने प्रस्ताव में यह अंकित करते हुए कि प्राक्कलन में गड़बड़ी के कारण संवेदक को Compaction का अधिक भुगतान की वसूली अंतिम विपत्र से कर ली गयी है, के आलोक में त्रुटिपूर्ण प्राक्कलन बनाने वाले अभियंताओं के विरूद्ध यथोचित कार्रवाई करने के निर्णय पर सक्षम प्राधिकार का आदेश प्राप्त किया गया।

प्रश्नगत् योजना के प्राक्कलन का गठन/निर्माण बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, कटिहार द्वारा किया गया था। श्री सिंह बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, सालमारी अन्तर्गत पदस्थापित थे। इस प्रकार प्रश्नगत् प्राक्कलन गठन में श्री सिंह की सम्बद्धता नहीं रही है। श्री सिंह प्रश्नगत् योजना के कार्यान्वयन अर्थात पूर्ण होने के पूर्व ही असम्बद्ध हो गये। साथ ही समीक्षोपरान्त यह भी पाया गया कि यद्यपि अधिकाई भुगतान की राशि की एक मुश्त वसूली कर ली गई है फलस्वरूप सरकार को आर्थिक क्षति नहीं हुई है, किन्तु योजना के कार्यान्वयन के दौरान श्री सिंह द्वारा 9 विपत्रों पर हस्ताक्षर किया गया इसलिए ये आंशिक जिम्मेवार हैं।

7. अतः उक्त आलोक में सम्यक विचारोपरान्त श्री अर्जुन कुमार सिंह, तत्कालीन सहायक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, सालमारी सम्प्रति सेवानिवृत कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, धमदाहा द्वारा समर्पित पुनर्विलोकन अर्जी पर विचार करते हुए इनके विरूद्ध अधिसूचना संख्या–1836–सह–पठित ज्ञापांक–1837 दिनांक 08.11.2022 द्वारा अधिरोपित शास्ति को निरस्त करते हुए निंदन (2010–14) की शास्ति अधिरोपित की जाती है।

प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(आदित्य प्रकाश)
अवर सचिव

ज्ञापांक :–2/अ0प्र0–1–366/2018 381 /पटना, दिनांक :– 9.2.24

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, बिहार, पटना, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, निर्माण भवन, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, पूर्णियाँ/मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अवर सचिव

ज्ञापांक :–2/अ0प्र0–1–366/2018 381 /पटना, दिनांक :– 9.2.24

प्रतिलिपिः– अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग/पथ निर्माण विभाग/योजना एवं विकास विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/ग्रामीण विकास विभाग/जल संसाधन विभाग/भवन निर्माण विभाग/संयुक्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/संयुक्त सचिव, जल संसाधन विभाग/प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ (आई०टी० मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से)/अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/जल संसाधन विभाग/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, पूर्णियाँ/उप सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–6/12, ग्रामीण कार्य विभाग एवं श्री अर्जुन कुमार सिंह, तत्कालीन सहायक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, सालमारी सम्प्रति सेवानिवृत कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, पत्राचार का पता :– फ्लैट नं0–301, एम0के0 रेसीडेन्सी, विवेकानन्द मार्ग, एस0के0पुरी, पटना–800013 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अवर सचिव

ज्ञापांक :–2/अ0प्र0–1–366/2018 381 /पटना, दिनांक :– 9.2.24

प्रतिलिपि:– माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव को अवलोकनार्थ एवं आई०टी० मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

अवर सचिव